प्रमाणित प्रतिलिपि
मुकदमा नम्बर 13/24 अनवान
बनाम

प्रति-हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

न्यायालय -अपर सेशन न्यायाधीश, नोखा-बीकानेर (राज.)
पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या -22/2024
सीआईएस संख्या -12/2024

1. अर्जनदास
2. सोहनदास

पुत्रगण ईश्वरदास निवासीगण दुर्गापुरा, तहसील नोखा जिला बीकानेर
..........निगरानीकर्तागण

बनाम

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नोखा, तहसील नोखा-बीकानेर
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा, जिला बीकानेर
3. महेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी दुर्गापुरा, तहसील नोखा जिला बीकानेर ....गैर.निगरानीकर्तागण

पुनःरीक्षण याचिका विरुद्ध आदेश दिनांक 19-07-2024, पीठासीन अधिकारी, गोपाल जांगिड़, आरएएस, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा-बीकानेर, राजस्थान राज्य बनाम मूर्ति मंदिर, श्री ठाकुरजी महाराज आदि, प्रकरण सं. 03/2024, उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करवाए जाने हेतु

पुनःरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 397
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

उपस्थिति:-
1. विद्वान अधिवक्ता, श्री विनायक चितलंगी , वास्ते निगरानीकर्तागण
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री राजेश पंचारिया , वास्ते गैर निगरानीकर्तागण सं. एक व दो
3. विद्वान अधिवक्ता, श्री लक्ष्मीनारायण सियाग, वास्ते गैर निगरानीकर्ता सं. तीन

-आदेश- **दिनांक- 28.11.2024**

1. संक्षेप में इस निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण ने गैर निगरानीकर्तागण के विरूद्ध यह निगरानी इस आशय की पेश की कि

28.11.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

पुलिस थाना, नोखा की ओर से इस्तगासा सं. 03/2024 अन्तर्गत धारा 145,146 दप्रसं दिनांक 16-05-2024 को माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा के यहां इस आशय का पेश किया कि शान्ति भंग होने की आशंका है। विवादित आराजीयात कुल किता पांच तादादी 13.18 हैक्टेयर मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त विवादित खसरा में मूर्ति की पूजा-अर्चना निगरानीकर्तागण के पूर्वज करते रहे हैं और उनके फौत होने के बाद निगरानीकर्तागण कर रहे हैं। निगरानीकर्तागण के विरूद्ध आधारहीन इस्तगासा पेश किया गया है व निगरानीकर्तागण अतिक्रमी नहीं हैं। पुलिस ने भी गलत जांच की है। मूल विवाद रास्ते से सम्बन्धित हैं और इसके सम्बन्ध में दप्रसं के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसे में एसडीएम द्वारा दिया गया आदेश विधि विरूद्ध है। ऐसे में एसडीएम न्यायालय का आदेश दिनांक 19-07-2024 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विद्वान उपखण्ड दण्डनायक, नोखा-बीकानेर द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 03/2024, थानाधिकारी, पुलिस थाना, नोखा आदि बनाम मंदिर मूर्ति श्री ठाकुरजी जरिए भक्त महेन्द्र सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 19/07/2024 शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है?

3. बहस निगरानी सुनी गयी।

4. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्तागण के तर्क हैं कि हस्तगत मामले में परिवाद पेश किए जाने के अत्यधिक विलम्ब के बाद आदेश पारित किया गया, जबकि धारा 145,146 दप्रसं के तहत कार्यवाही दो माह के भीतर होनी चाहिए। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके आदेश पारित किया गया है। विवादित रास्ते की बाबत राजस्व न्यायालय में वाद लम्बित है। ऐसे में धारा 145,146 दप्रसं की कार्यवाही लम्बित नहीं हो सकती तथा रास्ते के विवाद में सम्पूर्ण भूमि को कुर्क करना गलत है तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय पेश किए हैं:-

(1) एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन सं. 4923/2024 आदेश दिनांक 29-07-2024 पेश किया है। इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनर्धारित किया कि जहां विवाद के सम्बन्ध में कार्यवाही एक बार दीवानी प्रक्रिया के तहत आरम्भ हो जाती है और उसके बाद रिसीवर नियुक्त करना व इसी प्रकार के अन्य आदेश पारित करना, अधिकारातीत होते हैं। धारा 145 दप्रसं का मुख्य उद्देश्य केवल लोक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना है न कि उसके माध्यम से स्वामित्व निर्धारण होता है और जब सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही आरम्भ हो गयी हो, तो एसडीएम द्वारा उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

28.11.24

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते

(2) 2022 लाईव लॉ (एससी) 1924- इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां दीवानी न्यायालय में विवाद के सम्बन्ध में दावा दायर कर दिया गया हो और अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी हो, तो ऐसी स्थिति में धारा 145,146 दप्रसं के तहत की गयी कार्यवाही समाप्त होने योग्य है।

(3) 1968 लेटेस्ट केस लॉ (देहली) 25- इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय देहली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 (1) दप्रसं के तहत कोई भी अनुतोष उस परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता, जब प्रारम्भिक आदेश तथाकथित बेकब्जा किए जाने की दिनांक से दो माह के बाद दिया गया हो।

अन्त में निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता व विद्वान् अपर लोक अभियोजक के तर्क हैं कि हस्तगत मामले में एसडीएम का आदेश दिनांक 19-07-2024 शुद्ध, वैध व औचित्यपूर्ण है। इसमें फेरफार करने का कोई कारण नहीं है। साथ ही लिखित बहस गैर निगरानीकर्तागण की ओर से इस आशय की पेश की गयी कि एसडीएम के न्यायलय द्वारा दप्रसं की धारा 145,146 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही परिशांति कायम करने हेतु अन्तरिम आदेश पारित कर वादगत भूमि को कुर्क किया गया है, जो आदेश अंतिम नहीं है। ऐसे में उसके विरूद्ध अपील/रीविजन नहीं हो सकती। न्यायालय ने आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दे रखा है। रीविजन में अनेक कमियां हैं। परिवाद के समस्त पक्षकारों को निगरानीकर्ता ने पक्षकार नहीं बनाया व नहीं बनाने का कोई खुलासा भी नहीं किया है। इस कारण भी निगरानी पोषणीय नहीं है। बहस के दौरान ऐसे तथ्य निगरानीकर्ता की ओर से बताए गए, जिनका वर्णन निगरानी में नहीं है। समानान्तर वाद का लम्बित रहना व घटना के दो माह के भीतर निर्णय नहीं करना उक्त दोनों ही तथ्य विचारणीय नहीं उनके सम्बन्ध में जो बहस की गयी, उसका कोई औचित्य नहीं है। निगरानीकर्ता ने जो निर्णय पेश किए हैं, वे लागू नहीं होते हैं। मौके पर भय का माहौल बने रहने के सम्बन्ध में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ऐसे में निगरानी खारिज किए जाने योग्य है तथा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय पेश किए हैं:-

(1) 2012 (3) एपेक्स कोर्ट जजमेंट्स राजस्थान 512 व 1997 क्रिमिनल लॉ.रि. (राज.)453- इन सम्माननीय न्यायिक विनिश्चयों में माननीय संवैधानिक न्यायालयों ने यह अभिनर्धारित किया कि अन्तरिम व अन्तर्वर्ती आदेशों के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है।

(2) 2010 (4) आर.एल.डब्ल्यू. 3121 व 1998 क्रिमिनल लॉ. रि. (राज.) 453- इन सम्माननीय न्यायिक विनिश्चयों में माननीय संवैधानिक न्यायालयों ने

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
नोखा (बीकानेर)

28.11.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

यह अभिनिर्धारित किया कि जहां कार्यपालक दण्डनायक का यह समाधान हो जाता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद से परिशांति भंग होने का आसन्न संकट है, ऐसी स्थिति में कुर्की का आदेश न्यायोचित है।

(3) 1997 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज.) 94- इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां धारा 145,146 दप्रसं के तहत कार्यवाही के दौरान विवादास्पद मकान के हिस्से को कुर्क करने का आदेश दिया गया हो व उसके विरूद्ध निगरानी याचिका खारिज की गयी हो और पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद लम्बित हो, तो दीवानी वाद का लम्बित होना मात्र धारा 145 व 146 दप्रसं के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने में वर्जन नहीं है।

(4) डीएनजे (एससी) 166, सिविल अपील नं. 528/1987 निर्णय दिनांक 15-09-1993- इन सम्माननीय न्यायिक विनिश्चयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि जैसे जमाबन्दी की प्रविष्टि मात्र व्यक्ति व उद्देश्य के लिए होती है, इससे कोई हक उत्पन्न नहीं होता है।

(5) 2016 (2) आरआरटी 1167- इस सम्माननीय न्यायिक विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राजस्व रिकॉर्ड में कब्जे की प्रविष्टि कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। वास्तविक कब्जा साबित होना चाहिए।

अन्त में निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों को सुना गया। आक्षेपित आदेश दिनांक 19-07-2024, महेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत इस्तगासे एवं धारा 145,146 दप्रसं का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. न्यायालय के विनम्र मत में विद्वान् एसडीएम, नोखा का आक्षेपित आदेश दिनांक 19-07-2024 का अवलोकन करें, तो उसमें पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 28-08-2024 को रखी गयी थी, लेकिन किस उद्देश्य के लिए रखी गयी, इसका कोई वर्णन नहीं है। दिनांक 19-07-2024 के आदेश में धारा 146 दप्रसं के तहत विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर अंतिम आदेश पारित किया है। जबकि पक्षकारों को साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। जबकि दिनांक 19-07-2024 की आदेशिका में आगामी कार्यवाही किस उद्देश्य से होगी, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। ऐसे में उक्त आदेश निगरानी की परिधि में आता है।

8. विवादित आराजीयात के खातेदार निगरानीकर्ता पक्ष है, इस सम्बन्ध में दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद हैं तथा शांति भंग के सम्बन्ध में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, वह वर्ष 2023 में दिनांक 28-07-2023 व

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

28.11.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

नांक 29-07-2023 को दर्ज हुई। जिनमें केवल रास्ते के विवादवश लडाई
ना वर्णित है। जबकि अपने आक्षेपित आदेश में सम्पूर्ण आराजीयात की कुर्की
ा आदेश एसडीएम द्वारा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त धारा 145 व 146 दप्रसं में यह वर्णित है कि
हां किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य
तला पर समाधान हो जाता है कि उसकी सामान्य अधिकारिता के अन्दर की
सी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से सम्बन्धित ऐसा विवाद विद्यमान है,
ससे परिशांति भंग होना सम्भाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के
धारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से समबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा
रते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या
ीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो, और विवाद की विषय वस्तु पर
स्तविक कब्जे के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें एवं
धारा 4 में यह भी वर्णित है कि मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को
कारों में से किसी के कब्जे में रखने के अधिकार के गुणावगुण या दावे के प्रति
र्देश किए बिना उन कथनों का, जो ऐसे पेश किए गए हैं, परिशीलन करेगा,
कारों को सुनेगा और ऐसे सभी साक्ष्य लेगा, जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया
ए, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और
ह सम्भव हो तो वह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा
) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय
तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था, तो वह कौन सा पक्षकार था:
स्तु यदि मजिस्टेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के,
सको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई,
ह पूर्व दो मास के अन्दर या उस तारीख के पश्चात् और उपधारा (1) के
ोन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया
है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार
धारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था तथा
146 दप्रसं में यह वर्णित है कि यदि धारा 145 दप्रसं की उपधारा (1) के
ोन उसके आदेश करने के पश्चात् किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को
ातिक समझता है अथवा यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से
ी का धारा 145 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, अथवा यदि वह
ना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा
द की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के
कुर्क कर सकता है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का
धार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं
देता है:

28.11.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)
सत्यमेव जयते

परन्तु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई सम्भावना नहीं रही, तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।

10. इस प्रकार धारा 146 दप्रसं में एसडीएम को आदेश जारी करने हेतु तीन परिस्थितियों का ध्यान रखता होता है, जिसमें प्रथम स्थिति यह है कि धारा 145 दप्रसं की उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश के पश्चात् मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है, दूसरी स्थिति यह है कि वह यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से किसी का भी वास्तविक कब्जा सम्पत्ति पर नहीं था। तीसरी स्थिति यह है कि पक्षकारों में से किसका कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, इसका समाधान नहीं होने पर वह सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है। ऐसे में आक्षेपित आदेश दिनांक 19-07-2024 का अवलोकन करें, तो उसमें विद्वान् एसडीएम ने यह वर्णित किया कि विवादित मंदिर की भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा जबरन कब्जा बनाए रखने पर वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्य निगरानीकर्तागण के विरूद्ध पेश इस्तगासे में भी लिखे हुए हैं कि विवादित आराजीयत पर कब्जा निगरानीकर्ता का है। ऐसे में केवल आपातिक स्थिति ही शेष रहती है। अपने निष्कर्ष में विद्वान् एसडीएम ने यह वर्णित किया है कि प्रस्तुत दस्तावेज इस्तगासे, जांच रिपोर्ट व लिखित अभिकथनों से प्रतीत होता है कि विवादित आराजीयत व रास्ते के सम्बन्ध में शांति भंग होने व तनाव की स्थिति बनने की सम्भावना है। यह कहीं वर्णित नहीं किया कि मामले में आपातिक परिस्थितियाँ हैं, इस कारण विवादित सम्पत्ति को कुर्क करना आवश्यक है। धारा 146 दप्रसं के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व आपातिक परिस्थितियां होने की सन्तुष्टि एसडीएम को होनी थी और उसका वर्णन अपने आदेश में करना था। मौके पर आपातिक स्थिति हो, ऐसा कोई वर्णन अपने आदेश दिनांक 19-07-2024 में विद्वान् एसडीएम ने नहीं किया है। जबकि गैर निगरानीकर्तागण स्वयं, निगरानीकर्तागण का विवादित आराजीयत पर कब्जा होना स्वीकार करते हैं, जिस तथ्य का वर्णन उसने अपने परिवाद में भी किया है।

11. यद्यपि न्यायालय एसडीएम के सन्तुष्टि के आधारों के सम्बन्ध में निगरानी के दौरान गुणावगुण पर विनिश्चय नहीं कर सकता, लेकिन निगरानी आदेश की शुद्धता, वैधता व औचित्यता का वैधानिक दृष्टि से परीक्षण कर सकता है तथा जब यह स्थिति स्वीकृत है कि विवाद की विषय वस्तु पर निगरानीकर्तागण का कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में कुर्की का आदेश पारित करने के लिए धारा 146 दप्रसं के तहत आपातिक परिस्थितियाँ होना आवश्यक था, लेकिन अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 19-07-2024 विद्वान् एसडीएम ने मौके पर आपातिक स्थिति होने का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि शांति भंग व तनाव की स्थिति बनने की सम्भावनाओं के आधार पर कुर्की का आदेश पारित

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

28.11.24
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

किया है, जो विधि की दृष्टि में शुद्ध, वैध व औचित्यतापूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्वान् अधिवक्ता गैर निगरानीकर्तागण की ओर से जो आक्षेप लिया गया कि विद्वान् एसडीएम के न्यायालय में जो व्यक्ति पक्षकार था, उन सभी को पक्षकार इस निगरानी याचिका में नहीं बनाया था, तो इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उन व्यक्तियों के अधिकार किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह भी निगरानीकर्ता की स्थिति में ही थे। ऐसे में उनके अधिकार प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है, उनको पक्षकार न बनाने मात्र से निगरानी याचिका की पोषणीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में विद्वान् एसडीएम का आदेश दिनांक 19–07–2024 अपास्त किए जाने योग्य है।

12. अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान् एसडीएम का आदेश दिनांक 19–07–2024 अपास्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति एसडीएम, नोखा को अविलम्ब प्रेषित हो।

28.11.24

(मुकेश कुमार प्रथम)
(आरजे 00693)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

13. आदेश आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.11.24

(मुकेश कुमार प्रथम)
(आरजे 00693)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)